राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **42/2025**

GCMS No.2025/79

1. रोहिताश्व सैनी पुत्र नौरंगलाल सैनी उम्र 32 वर्ष जाति माली निवासी बबाई तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।
2. धनसिंह सैनी पुत्र मालाराम सैनी उम्र 53 वर्ष जाति माली निवासी बबाई तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।

..........वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. अनिता पुत्री बोदू
2. अनिता पुत्री मोहनलाल
3. अशोक पुत्र नाथूराम
4. ओमप्रकाश वर्ता पुत्र फूलचन्द कुम्हार
5. कन्हैयालाल पुत्र लादू
6. कैलाश पुत्र बोदू
7. केशर पुत्र नाथूराम
8. केशरी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद
9. जुमली देवी पुत्री सुरजा
10. जितेन्द्र कुमार कुमावत पुत्र महावीर प्रसाद
11. तीजा बाई पुत्री बोदू
12. दुर्गा पुत्री बन्शी
13. पिंकी उर्फ विक्की पुत्र बोदू
14. बबीता पुत्री बोदू
15. भंवरी देवी पत्नीस्व. मोहनलाल
16. मदनलाल कुमावत पुत्र लिछमण
17. मन्जू देवी पुत्री फूलचन्द कुम्हार
18. मुन्नी देवी फूलचंन्द
19. ममता देवी पुत्री लिछमण
20. मिश्री पुत्री बन्शी
21. रेखा पुत्री नाथूराम
22. रमेश पुत्र नाथूराम
23. राजेश पुत्र नाथूराम
24. रामकुमार पुत्र लादू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

25. रामस्वरूप पुत्र नाथूराम
26. लक्ष्मी देवी पुत्री सुरजा
27. श्रवण कुमार कुमावत पुत्र लिछमण
28. सुण्डा पुत्री लादू
29. सतीश कुमावत पुत्र महावीर प्रसाद
30. सन्जू देवी पत्नी स्व. फूलचन्द
31. सन्तरा पुत्री बन्शी
32. सुमन पुत्री बोदू
33. सुमन वर्मा पुत्री फुलचन्द कुम्हार
34. सुमित्रा पत्नी बोदू
35. सीमा पुत्री मोहनलाल
36. सोनी देवी पुत्री लिक्षमण
37. हरिचन्द वर्मा पुत्र फूलचन्द कुम्हार
38. कैलाश पुत्र जगदीश
39. बादामी पत्नी जगदीश
40. सन्तोष पुत्री जगदीश
41. सुमन पुत्री जगदीश
42. राजेश कुमावत पुत्र मनोहरलाल
43. सुभाष कुमावत पुत्र मनोहरलाल
44. अनिल कुमावत पुत्र मनोहरलाल
45. सुनिता पुत्री मनोहरलाल
46. सन्तोष देवी पत्नी मनोहरलाल

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण बबाई तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।

47. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतडी

.... प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्त :–

1. **श्री विजयसिंह कसाणा** – **वादीगण की ओर से**
2. **श्री सुरेन्द्र सैनी** – प्रतिवादीगण **की ओर से**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested.

–:निर्णय :– दिनांक 10/11/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07–[illegible]–2025 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम प्रतापपुरा पटवार मण्डल गोडसटा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–2079 के खा. सं. 154 के खसरा नम्बर 1279/765 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1583/765 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

766 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 767 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 768 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 769 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 770 रकबा 0.28 है. किता 7 कुल रकबा 1.91 है. वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे कास्त अनुसार वादीगण का अलग–अलग खाता अलेहदा कायम किया जाकर लगान अलेहदा कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/3373 दिनांक 03.11.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–15'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–15'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–15'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–15'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
एवं [illegible] क कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

उनवान

रोहिताश्व आदि

ब–ना–म

अनिता आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **42 / 2025**

निर्णय दिनांक :– ....10/11/25....

वादीगण की ओर से **श्री विजय सिंह कसाणा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री सुरेन्द्र सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....10/11/25.... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–15" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03–11–2025 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–15" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ....10/11/25.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested